संवाद और सहयोग के माध्यम से सामान्य सुरक्षा को बढ़ावा देना: UNSC

प्रलिम्सि के लिये:

UNSC और इसकी विशेषताएँ, अंतर्राष्ट्रीय न्याय संहिता।

मेन्स के लिये:

संवाद और सहयोग के माध्यम से सामान्य सुरक्षा को बढ़ावा देना, UNSC बैठक।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने 'संवाद और सहयोग के माध्यम से सामान्य सुरक्षा को बढ़ावा देना' विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की बैठक को संबोधित किया।

- अगस्त 2022 के लिये सुरक्षा परिषद का वर्तमान अध्यक्ष होने और **15 सदस्यीय परिषद** में से एक वीटो-धारक होने के नाते UNSC बैठक चीन द्वारा आयोजित की गई थी।

बैठक की प्रमुख विशेषताएँ:

- सभी देशों को **एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का सम्मान** करना चाहिये।
- सामान्य सुरक्षा तभी संभव है जब **सभी देश आतंकवाद के मुद्दे पर एक साथ खड़े हों** और इसके लिये दोहरे मापदंड का अभ्यास न करें साथ ही जब विभिन्न देश समझौतों से पीछे हटने के लिये एकतरफा उपाय नहीं करें।
- भारत ने विशेष रूप से सुरक्षा परिषद में बहुपक्षीय सुधार का आह्वान किया, यह कहते हुए कि **राष्ट्रों के बीच सामान्य सुरक्षा की आकांक्षा नहीं की जा सकती** यदि दक्षिण धुरी राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं दिया जाएगा।
  - सबसे ज़रूरी बात यह है कि सुरक्षा परिषद को विकासशील देशों का अधिक प्रतिनिधि बनाया जाए ताकि वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित किया जा सके, इसके अतिरिक्त अफ्रीकी महाद्वीप का भी परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व होना चाहिये।
- विश्व के **किसी एक हिस्से में सशस्त्र संघर्ष का दूसरे हिस्से के लोगों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है**।
  - हमने अन्य विकासशील देशों पर यूक्रेन युद्ध का प्रभाव विशेषकर खाद्यान्न, उर्वरक और ईंधन की आपूर्ति के क्षेत्र में देखा है।
- अफगानिस्तान के संकट का प्रभाव अभी भी अनेकों क्षेत्र में महसूस किया जा सकता है।
- चीन ने **संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट करने के भारत और अमेरिका के प्रयासों को बार-बार अवरुद्ध** किया है।
- भारत ने साझा सुरक्षा पर ज़ोर देते हुए चीन पर निशाना साधा जिसने **वर्ष 2020 में पूर्वी लद्दाख** में **सीमा समझौते का उल्लंघन** किया था।
  - **पैंगोंग झील क्षेत्रों में हिंसक झड़प** के बाद 5 मई, 2020 को भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध शुरू हो गया।
  - दोनों पक्षों ने धीरे-धीरे हज़ारों सैनिकों के साथ-साथ भारी हथियारों को लेकर अपनी तैनाती बढ़ा दी।
- चीन लगभग संपूर्ण दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, हालाँकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम सभी इसके **कुछ हिस्सों का दावा करते** हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC):

- **परिचय:**
  - सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
    - संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंगों में शामिल हैं- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA), ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय।
  - UNSC मुख्य तौर पर **अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु उत्तरदायी है।**
  - यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव का चयन करता है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के चुनाव में संयुक्त राष्ट्र महासभा के

साथ सह-टर्मनिस भूमिका नभिाता है।

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अधयाय VII के तहत अपनाए गए इसके संकल्प सभी देशों के लिये बाध्यकारी हैं।

- **संरचना:**
    - सुरक्षा परषिद में कुल 15 सदस्य होते हैं: पाँच स्थायी सदस्य और दो वर्षीय कार्यकाल हेतु चुने गए दस अस्थायी सदस्य।
    - **पाँच स्थायी सदस्य** संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, फ्राँस, चीन और यूनाइटेड कगिडम हैं।
    - दस अस्थायी सदस्य: महासभा द्वारा दो वर्ष के लिये चुने जाते है।
        - अफ्रीकी और एशियाई देशों से पाँच;
        - पूर्वी यूरोपीय देशों से एक;
        - लैटनि अमेरिकी देशों से दो;
        - दो पश्चमिी यूरोपीय और अन्य देशों से।
- **भारत की सदस्यता:**
    - भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परषिद में एक अस्थायी सदस्य के रूप में सात बार सेवाएँ प्रदान की है और जनवरी, 2021 में भारत ने आठवीं बार UNSC में प्रवेश किया।
    - भारत **UNSC में स्थायी सीट** की वकालत करता रहा है।
- **मतदान की शक्तियाँ:**
    - सुरक्षा परषिद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। सभी मामलों पर सुरक्षा परषिद के निर्णय स्थायी सदस्यों सहति नौ सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा लिये जाते हैं, जसिमें सदस्यों की सहमत‍ि अनविार्य है। पाँच स्थायी सदस्यों में से यद‍ि कोई एक भी प्रस्ताव के वपिक्ष में वोट देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है।
    - पाँच स्थायी सदस्यों में से एक का भी नेगेटवि वोट प्रस्ताव के पारित होने को रोकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. UN की सुरक्षा परषिद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और शेष 10 सदस्यों का चुनाव महासभा द्वार कतिनी अवध‍ि के लिये किया जाता है? (2009)

(a) 1 वर्ष
(b) 2 वर्ष
(c) 3 वर्ष
(d) 5 वर्ष

उत्तर: (b)

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परषिद में एक स्थायी सीट की खोज में भारत के सामने आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिये। **(मुख्य परीक्षा, 2015)**

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/promote-common-security-through-dialogue-and-cooperation-unsc